

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

Press Release

दिनांक :- 26.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् है:-

(i) Number of Assembly Constituencies going to poll	50
No. of Districts involved	6
(ii) Electors	
Total Electors	1,45,93,980
a) General Elector	1,45,58,861
Male	78,51,593
Female	67,06,687
Third Gender	581
b) Service Elector	35,115
Male	23,007
Female	12,108
Third Gender	0
c) Overseas Elector	4
Male	4
Female	0
Third Gender	0
(iii) Total No. of ASD electors	6,36,707
(iv) No. of Candidates	808
Male	737
Female	71

(v)	Polling Station	14,170
	Main Polling Stations	13,648
	Auxiliary Polling Stations	522
(vi)	No. of Polling Station Location	9,696
(vii)	No. of EVMs to be used	
	CU	14,170
	BU	20,812
(viii)	No. of VVPATs to be used	3,270
(ix)	No. of ECI Observers	
	General Observers	50
	Expending Observers	18
	Police Observers	6
	Awareness Observers	6
(x)	No. of Employees given Postal Ballots	30,074
(xi)	No. of Employees casted vote through Postal Ballots	20,222
(xii)	No. of NBWs against accused persons executed after announcement of election	9,746
(xiii)	No. of Vulnerable Hamlets	4,704
(xiv)	No. of electors identified as vulnerable	3,68,284
(xv)	No. of identified trouble makers in vulnerability mapping	18,648
(xvi)	No. of Bonds taken under section 107 Cr. P.C.	48,807

2. Other Details

Name of Distt.	Saran	Vaishali	Nalanda	Patna	Bhojpur	Buxar	Total
No. of model polling stations	201	100	36	25	26	16	404
No. of critical polling stations	1320	777	993	1389	1533	735	6747
No. of LWE polling stations	219	354	226	671	325	114	1909
No. of Micro Observer deployed	756	600	400	700	539	233	3228

No. of Polling Personnel deployed	14100	10387	11773	22527	10328	6034	75149
No. of CPF and State Police Personnel deployed (in Coys)	193	166	170	335	155	88	1107
No. of Android Mobile deployed	100	150	70	140	105	40	605
No. of Video Camera deployed	299	68	130	96	426	68	1087
No. of PS using Live Web Casting	137	102	106	210	101	60	716
Air Surveillance – Helicopter/UAV							5
No. of vehicle required in 3 rd phase							16,426
No. of Motor Boat to be used in 3 rd phase for Riverine patrolling							47
No. of Motor Bike to be used in 3 rd phase for patrolling							610
Mounted Police Force to be used for patrolling							50
Air Ambulance							1

3. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या 0612-2217788 तथा फैक्स संख्या 0612-2215611 है।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 93.54% मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 28.10.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर Basic Minimum Facilities के तहत

निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :-

- (i) रैम्प की व्यवस्था
 - (ii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
 - (iii) बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था
 - (iv) रौशनी की व्यवस्था
 - (v) हेल्प डेस्क की व्यवस्था
 - (vi) टॉयलेट की व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग)
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान की तिथि को मतदान केन्द्रों पर विकलांग/नेत्रहीन मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-
- (i) मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था।
 - (ii) निःशक्त मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाने की सुविधा।
 - (iii) नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।
 - (iv) किसी 18 साल से अधिक उम्र के सहयोगी की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-
- 1 पासपोर्ट
 - 2 ड्राइविंग लाइसेंस
 - 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
 - 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
 - 5 पैन कार्ड
 - 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
 - 7 मनरेगा जॉब कार्ड
 - 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

- 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
 - 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
 - 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
 10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28.10.2015 (बुधवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
 11. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तृतीय चरण के 50 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 28.10.2015 (बुधवार) को निर्धारित है जिनमें से 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक है। तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
सारण	113-एकमा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	114-मांझी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	115-बनियापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	116-तरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	117-मढ़ौरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	118-छपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	119-गरखा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	120-अमनौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	121-परसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	122-सोनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
वैशाली	123-हाजीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	124-लालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	125-वैशाली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	126-महुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	127-राजापाकर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	128-राघोपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	129-महनार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	130-पातेपुर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
नालन्दा	171-अस्थावाँ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	172-बिहारशरीफ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	173-राजगीर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	174-इस्लामपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	175-हिलसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	176-नालन्दा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	177-हरनौत	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
पटना	178-मोकामा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	179-बाढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	180-बख्तियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	181-दीघा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	182-बाँकीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	183-कुम्हारार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	184-पटना साहिब	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	185-फतुहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

	186-दानापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	187-मनेर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	188-फुलवारी (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	189-मसौढ़ी (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	190-पालीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	191-बिक्रम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
भोजपुर	192-संदेश	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	193-बड़हरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	194-आरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	195-अगिआँव (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	196-तरारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	197-जगदीशपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	198-शाहपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
बक्सर	199-ब्रहमपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	200-बक्सर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	201-डुमराँव	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	202-राजपुर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	266
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	28
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	86
Violation of Loudspeaker Act	22
Illegal Meeting/Speech etc.	12
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	4
Others	108

13. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	231
No. of Explosives seized	100

No. of cartridges seized	1,049
No. of Bombs seized	23
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	2
No. of Licensed Arms deposited	14,682
No. of Licensed Arms Cancelled	3,686
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	41,852
No. of non-bailable warrants executed	17,676
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,87,44,205
14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 1,005 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।	
पूर्वी चम्पारण जिला में ₹83,500/- एवं भोजपुर जिला में ₹5,90,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।	
15. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-	
Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	3
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	1
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	2
Others	2
16. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	7
No. of cartridges seized	81
No. of Licensed Arms deposited	229
No. of Licensed Arms Cancelled	4
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	1,287
No. of non-bailable warrants executed	110
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,54,296

17. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	46
No. of raids conducted	34
Volume of illicit liquor seized during raids	2,587 litre
No. of persons arrested	70
Amount of fine imposed	Rs. 1,51,500
